



दिल्ली विकास प्राधिकरण
आवास (समन्वय) शाखा
द्वितीय तल, ब्लॉक - डी, विकास सदन, नई दिल्ली

कंप्यूटर नंबर : 99608

सं.: एफ/1/0125/2025/कॉर्ड/-कॉर्डिनेशन(एच)/3093

दिनांक: 09.09.2025

विषय: ईडब्ल्यूएस/जनता फ्लैट्स की बिक्री के लिए डीडीए जन साधारण आवास योजना
2025 (एफसीएफएस) का आरंभ

सभी के लिए किफायती आवास सुनिश्चित करने की विभिन्न पहलों के अंतर्गत, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा 'डीडीए जन साधारण आवास योजना 2025 (एफसीएफएस)' शुरू की जा रही है जिसमें दिल्ली के विभिन्न स्थानों में ईडब्ल्यूएस/जनता श्रेणी के 1172 फ्लैटों की बिक्री के लिए (पहले आओ, पहले पाओ) आधार पर फ्लैट बिक्री की जा रही है।

2. निम्नलिखित फ्लैट पहले आओ पहले पाओ (एफसीएफएस) के आधार पर उपलब्ध कराए जाएंगे:

क्र. सं.	स्थान	फ्लैट की श्रेणी	फ्लैटों की संख्या	प्लिंथ एरिया की अनुमानित सीमा (वर्ग मीटर)	संभावित कीमत की विस्तृत सीमा (लाख रुपए में)
1	नरेला	ईडब्ल्यूएस	672	34.76 से 61.99	9.18 से 27.86 (15% छूट के बाद)
2	लोकनायकपुरम	ईडब्ल्यूएस	108	55.35 से 61.17	29.60 से 32.62
3	रोहिणी	जनता	97	28.01 से 28.81	14.59 से 15.00
4	टोडापुर	जनता	3	22.28 से 25.04	18.02 से 18.43
5	द्वारका (सेक्टर 14)	ईडब्ल्यूएस	241	57.94 से 58.93	34.74 से 35.32
6	द्वारका (सेक्टर 19बी)	ईडब्ल्यूएस	3	50.04	26.77
7	मंगलापुरी , द्वारका	ईडब्ल्यूएस	48	50.74 से 52.50	32.32 से 33.43

3. पात्रता मानदंड

- i. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- ii. आवेदक वयस्क हो, अर्थात् आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक आवेदक की आयु 18 वर्ष हो चुकी हो और वह कानूनी रूप से अनुबंध करने के लिए सक्षम हो।
- iii. दिल्ली में किसी भी प्रकार की भूमि या निर्मित संपत्ति के स्वामित्व होने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- iv. यदि दोनों परिवार अलग माना जाए तो, ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए आवेदन करने वाले आवेदक और संयुक्त सह-आवेदक, दोनों परिवारों की पारिवारिक आय 10 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस खंड के लिए पारिवारिक आय में आवेदक और उसके/उसकी विवाहित जीवनसाथी की आय शामिल है।
- v. 'आवेदन पत्र' में आवेदक को केवल अपने नाम से ही किसी भी बैंक में बचत खाता का विवरण देना होगा।
- vi. आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आवंटित स्थायी खाता संख्या (पैन) होना चाहिए और इसे आवेदन पत्र में उद्धृत किया जाना चाहिए।
- vii. संयुक्त आवेदन के मामले में दिव्यांगजनों के लिए आवेदक स्वयं आरक्षित श्रेणी में आना चाहिए और संयुक्त आवेदक/सह-आवेदक, परिवार के सदस्य होने चाहिए। इस खंड में परिवार से अभिप्राय किसी व्यक्ति या उसके माता-पिता या उसके रक्त संबंधी या उसका जीवनसाथी या उसके आश्रित संबंधी है, जिनमें अविवाहित बच्चे भी शामिल हैं, से है।
- viii. यदि कोई सह-आवंटी हो, तो उसे आवेदन के समय जोड़ना उचित होगा। प्रक्रिया में आसानी के लिए, बाद के चरण की जगह प्रारंभिक चरण में ही प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।

4. महत्वपूर्ण तिथि

- i. रजिस्ट्रेशन की शुरुआत: 11.09.2025
- ii. बुकिंग की शुरुआत: 22.09.2025
- iii. स्कीम बंद होने की तारीख: 21.12.2025

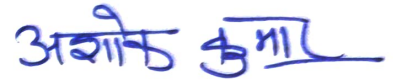
5. आबंटन प्रक्रिया

i. आबंटन पहले आओ, पहले पाओ (एफसीएफएस) के आधार पर किया जाएगा।

6. डीडीए के आवास पोर्टल (<https://www.dda.org/in>) पर पंजीकरण के लिए एकमुश्त पंजीकरण शुल्क 2,500/- रुपये है। आवास पोर्टल पर पहले से पंजीकृत आवेदकों को दोबारा पंजीकरण शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, प्रत्येक ईडब्ल्यूएस/जनता प्लैट के लिए बुकिंग शुल्क 50,000 रुपये है। आवेदक जितने चाहे उतने प्लैट बुक कर सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

7. इस योजना के नियमों और शर्तों से युक्त एक विस्तृत विवरणिका (ब्रोशर) जल्द ही डीडीए की वेबसाइट www.ddagov.in पर अपलोड किया जाएगा।

यह परिपत्र उपाध्यक्ष डीडीए के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(अशोक कुमार)
निदेशक(आवास)-1